

Wagner's Law of increasing State Activities

M.A CC-12

वैगनर का नियम, सार्वजनिक व्यय और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध बताता है। इस नियम को राज्य गतिविधि में वृद्धि के नियम के नाम से भी जाना जाता है।


1883 ई. में जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर (1835-1917) ने औद्योगिक देशों में सार्वजनिक व्यय के अपने अध्ययन के आधार पर "राज्य गतिविधि में वृद्धि नियम" नामक एक लेख लिखा। वैगनर के अनुसार, सार्वजनिक व्यय में वृद्धिमान राजकीय गतिविधि का नियम है। यह नियम बताता है कि जैसे-जैसे किसी देश में प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे उस देश का सार्वजनिक क्षेत्र कुल आर्थिक गतिविधि के अनुपात में बढ़ता है। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास से सरकार की गतिविधियों और कार्यों में वृद्धि होती है।

वैगनर के अनुसार प्रागैशियल समाज में केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर सरकारें लगातार नए कार्य करती हैं, जबकि पुराने कार्य भी यथावत् चलते रहते हैं। इससे सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। लोगों की आर्थिक जरूरतों को अधिक कुशलता से और अधिक पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए सरकारी गतिविधियों में वृद्धि के साथ सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है।

एडोल्फ वैगनर ने अपना अध्ययन औद्योगिक देशों पर आधारित किया है लेकिन उनके अनुसार यह नियम विकसित देशों के मामलों में भी समान रूप से लागू होता है।

वीगनर के अनुसार एक राज्य मुख्य रूप से तीन कार्य करता है (1) प्रशासन और सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाल्य एवं अंतर सुरक्षा और समाज का सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना।

वीगनर का नियम को निम्न रेखाचित्र द्वारा समझ सकते हैं।



उपरोक्त रेखाचित्र एक विस्तारित अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष विस्तार को बताता है। रेखा- x पर प्रतिव्यक्ति आय (वास्तविक) एवं रेखा- y पर सार्वजनिक वस्तुओं का वास्तविक प्रतिव्यक्ति उत्पादन है। PCI वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ सार्वजनिक वस्तुओं के वास्तविक प्रतिव्यक्ति उत्पादन में निरंतर आनुपातिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है जबकि PCE दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ती दर से बढ़ता है। इससे शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र में आनुपातिक वृद्धि स्थिर नहीं है, बल्कि कुल आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के साथ बढ़ती है।

आलोचना : →

(i) यह नियम सार्वजनिक व्यय पर शुद्ध डे प्रभाव का विश्लेषण करने में असक्षम है।

(ii) यह नियम सभी पश्चिमी देशों पर लागू नहीं होता है।

(iii) वैश्व सार्वजनिक व्यय की वृद्धि की प्रक्रिया की नजरअंदाजी करता है।